सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख, 1923 शकाब्द

संख्या 78

रांची, सोमवार, 30 अप्रैल, 2001

विधि (विधान) विभाग।

अधिसूचना

28 अप्रैल, 2001

संख्या-एल० जी०-07/2001-लेज: 03—झारखण्ड विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 20 अप्रैल, 2001 को अनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
रामायण पाण्डेय,
सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड,
रांची।

[झारखण्ड अधिनियम 02, 2001]

झारखण्ड विधान मंडल में नेता-विरोधी दल, वेतन और भत्ता का अवधारण हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम, 2001

भारत-गणराज्य बावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(क) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल, (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(ख) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं—

इस अधिनियम में विधान-मंडल के सदन के सम्बन्ध में विरोधी दल के नेता से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान-सभा का कोई सदस्य जो तत्समय सदन में सरकार के ऐसे विरोधी दल का नेता हो जिसकी संख्या-बल सबसे अधिक हो और इस रूप में झारखण्ड विधान-सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

स्पष्टीकरण : जहां विधान-सभा में सरकार के दो या अधिक विरोधी दलों का संख्या-बल समान हो, वहां यथास्थिति, विधान-सभा के अध्यक्ष, दलों की हैसियत को ध्यान में रखते हुए इस धारा के प्रयोजनार्थ विरोधी दल के नेता के रूप में ऐसे दलों में से किसी एक दल के नेता को मान्यता प्रदान करेंगे और ऐसी मान्यता अन्तिम एवं निर्णायक होगी।

3. विरोधी दल के नेता का वेतन एवं क्षेत्रीय भत्ता—

(क) विरोधी दल के ऐसे नेता को प्रतिमाह 3000/- (तीन हजार) रुपए वेतन दिया जायगा। वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायगा।

(ख) विरोधी दल के नेता को प्रतिमाह चार हजार रुपए की दर से क्षेत्रीय भत्ता और एक हजार रुपए की दर से आतिथ्य सत्कार भत्ता दिया जायगा।

(ग) इस अधिनियम के अधीन वेतन या भत्ता पानेवाला विरोधी दल का नेता, विधान-मंडल के सदन की अपनी सदस्यता के सम्बन्ध में वेतन या भत्ता के रूप में विधान-मंडल द्वारा उपबंधित निधियों में से कोई रकम प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(घ) विरोधी दल के नेता का निवास :

1. विरोधी दल का नेता अपनी पूरी पदावधि तक और उसके तुरन्त बाद एक माह की अवधि तक रांची में तथा रांची के बाहर किसी अन्य स्थान में, जहां विधान-सभा की बैठक आयोजित हो, किराया दिए बिना एक सुसज्जित निवास के उपभोग करने का हकदार होगा।

2. ऐसे निवास के अनुरक्षण के संबंध में विरोधी दल के नेता पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. इस धारा के अधीन उपबंधित आवास को सुसज्जित करने एवं अनुरक्षण का व्यय समान दण्ड और उस वित्तीय सीमाओं के अधीन होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "आवास" में स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और "आवास" से संबंधित अनुरक्षण के अन्तर्गत "स्थानीय करों" एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत् शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।

(ङ) विरोधी दल के नेता को यात्रा और दैनिक भत्ता : विरोधी दल के नेता का राज्य के अन्दर 350/- (तीन सौ पचास) रुपये एवं राज्य के बाहर भ्रमण के लिये विधान-मंडल सदस्यों, मंत्रियों के अनुरूप उल्लिखित शर्तों के अधीन 500/- (पांच सौ) रुपये दैनिक भत्ता देय होगा।

(च) मोटर कार खरीदने के लिए विरोधी दल के नेता को अग्रिम और सवारी भत्ता का दिया जाना : राज्य सरकार विरोधी दल के नेता के उपयोग के लिए मोटरकार की खरीद और उपबंध समय-समय पर ऐसी शर्तों पर कर सकेगी, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

परन्तु, यदि विरोधी दल के नेता के पास राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कोई मोटरकार नहीं हो, तो उसे उसके बदले सवारी भत्ता की ऐसी रकम और मोटरकार को खरीद करने के लिए ऐसा धनराशि ऐसी शर्तों पर दी जाएगी, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन सुविधा और दक्षतापूर्वक कर सके।

(छ) विरोधी दल के नेता को सुविधाएं :

विरोधी दल के नेता के लिए उपस्कर, दूरभाष तथा निजी स्टॉफ की सुविधाओं के लिए ऐसे पैमाने पर उपबंध किया जायेगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

(ज) नियम बनाने की शक्ति :

1. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

2. इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधान-सभा के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के सत्र में हो, जिसमें एक साथ या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हों, रखा जाएगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसके ठीक बाद वाले सत्र में सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो, अथवा सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाय, तो उसके बाद, यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका प्रभाव ही नहीं होगा, फिर भी ऐसे उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात को विधि-मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रामावध पाण्डेय,

सचिव,

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड

रांची।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, रांची द्वारा प्रकाशित तथा
सचिवालय मुद्रणालय, झारखण्ड, रांची द्वारा मुद्रित।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 78—100+500.—शनि मुण्डा।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 285 — 25 भाद्र 1924 शकाब्द
रांँची, सोमवार 16 सितम्बर, 2002

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर, 2002

संख्या-एल०जी०--07/2001-72-लेज--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 13 सितम्बर, 2002 को अनुमति दे चुके है ; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

प्रशान्त कुमार,
सचिव,
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, रांँची ।

झारखण्ड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2002 [झारखण्ड अधिनियम, 14, 2002]

झारखण्ड विधान मंडल में (नेता विरोधी दल वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 02, 2001) का संशोधन करने के लिए अधिनियम !

भारत गणराज्य के तिरपनवें (53वें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
   (i) यह अधिनियम झारखण्ड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3 (क) का संशोधन :- झारखण्ड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 01 (इसके आगे उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट) की धारा-3 (क) में अंक एवं शब्द ''3,000/- (तीन हजार)'' के स्थान पर अंक एवं शब्द ''5,000/- (पाँच हजार)'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे :-

3. झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3 (ख) का संशोधन :- झारखण्ड विधान मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (इसके आगे उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट) की धारा-3 (ख) में अंक एवं शब्द ''1,000/- (एक हजार)'' के स्थान पर अंक एवं शब्द ''5,000/- (पाँच हजार रुपये)'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3 (ड.) का संशोधन :-उक्त अधिनियम का धारा-3(ड.) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जायेगी ।

3 (ड.) विरोधी दल के नेता लोक कारोबार हेतु दैनिक भत्ता के रूप में 5,00/- (पाँच सौ)रुपये प्रतिदिन की दर से पाने का हकदार होंगे ।

5. झारखण्ड अधिनियम-02, 2001 की धारा-3 (छ) के बाद 3 (ज)के रुप में निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

''झारखण्ड विधानमंडल नेता विरोधी दल को 2,000/-(दो हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता को भुगतान देय होगा'' तथा 3 (ज) को 3 (झ) के रूप में पढ़ा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सचिव,
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 285--300+400--शनि मुण्डा ।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन 1927 शकाब्द

संख्या 101 राँची, सोमवार 27 फरवरी, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 फरवरी, 2006

संख्या-एल०जी०-07/2001-31/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2006 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:--

झारखण्ड विधान मंडल में नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005

[झारखण्ड अधिनियम 10, 2006]

झारखण्ड विधान मंडल में नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें (56वें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**-(i) यह अधिनियम झारखण्ड विधान मंडल में नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

   (iii) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. **झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-3(ख) में शब्द क्षेत्रीय भत्ता प्रतिमाह के बाद अंक ''4000/-'' के स्थान पर अंक ''8000/-'' एवं प्रकोष्ट के अन्दर के शब्द ''चार हजार'' के स्थान पर शब्द ''आठ हजार'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

3. **झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-03(ख) में अंक एवं शब्द ''5000/-(पाँच हजार)'' के स्थान पर अंक एवं शब्द ''8000/- (आठ हजार)'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. **झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-3 की उपधारा (ड.) का संशोधन**--उक्त धारा के तृतीय पंक्ति में शब्द ''होगा ।'' के पश्चात् निम्न शब्द समूह जोड़े जायेंगे--

''हवाई यात्रा एवं जल पोत से यात्रा करने के समय नेता विरोधी दल के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी'' ।

5. **झारखण्ड अधिनियम 02, 2001 की धारा-03 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-3(क्ष) में चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह के पश्चात् अंक एवं शब्द में ''रुपये 2000/-(दो हजार रुपये)'' के स्थान पर ''रुपये 3000/-(तीन हजार रुपये)'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राम बिलाश गुप्ता,
सरकार के सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 101-300+400--शनि मुण्डा ।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 252

13 चैत्र, 1930 शकाब्द

राँची, बुधवार, 2 अप्रैल, 2008

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

1 अप्रैल, 2008

संख्या-एल०जी०-7/2001-39/लेज०,--झारखण्ड विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 31 मार्च, 2008 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड विधान-मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2008

[झारखण्ड अधिनियम 08, 2008]

झारखण्ड विधान-मंडल में नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 में संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 59वाँ वर्ष में झारखण्ड विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

(i) यह अधिनियम झारखण्ड विधान-मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड विधान-मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम 02, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-14, 2002 की धारा-2 में संशोधन-झारखण्ड विधान-मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-14, 2002 की धारा-2 में अंक और शब्द 5,000/- (पाँच हजार) रुपये के स्थान पर 10,000/- (दस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

3. झारखण्ड विधान-मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम 02, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-14, 2002 की धारा-3 में संशोधन-झारखण्ड विधान-मंडल नेता विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 यथासंशोधित अधिनियम-14, 2002 की धारा-3 में अंक और शब्द 8,000/- (आठ हजार) रुपये के स्थान पर 12,000/- (बारह हजार) रुपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 252--300+400--शशि मुण्डा ।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन, 1933 शकाब्द

संख्या 685 राँची, मंगलवार 11 अक्टूबर, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2011

संख्या एल०जी०–07/2001–165/लेज०–झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

[झारखण्ड अधिनियम, 15, 2011]

झारखंड विधान–मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखंड विधान–मंडल में नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम 02, 2001, अधिनियम 14, 2002 एवं अधिनियम, 08, 2008 में संशोधन करने के लिए अधिनियम –

भारत गणराज्य के 62वां वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(i) यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (क)– यथासंशोधित अधिनियम–08, 2008 की धारा 2 के द्वारा विरोधी दल के नेता को वेतन के रूप में प्रावधानित राशि 10,000/– रूपये प्रति माह के स्थान पर 39,000/– रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (ख)– यथासंशोधित अधिनियम–08, 2008 के द्वारा विरोधी दल के नेता को सत्कार (आतिथ्य) भत्ता के रूप में प्रावधानित राशि 5,000/– रूपये प्रति माह के स्थान पर 25,000/– रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (ख)– यथासंशोधित अधिनियम–08, 2008 की धारा 3 के द्वारा विरोधी दल के नेता को क्षेत्रीय भत्ता के रूप में प्रावधानित राशि 12,000/– रूपये प्रति माह के स्थान पर 20,000/– रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम 02, 2001 की धारा 3 में यथासंशोधित अधिनियम–14, 2002 की धारा 5 द्वारा 3 (ड0) –के रूप में जोड़े गये विरोधी दल के नेता को दैनिक भत्ता के रूप प्रावधानित राशि 500/– के स्थान पर राज्य के अंदर 1,000/– तथा राज्य के बाहर 1,500/– रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 में यथासंशोधित अधिनियम–14, 2002 द्वारा धारा 3 (ज)– के रूप में जोड़े गये विरोधी दल के नेता को चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रावधानित राशि 2,000/– के स्थान पर 3,000/– रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. झारखण्ड विधान–मंडल नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 02, 2001 की धारा 3 (ज) 1 के पश्चात् नया उपबंध 1 (a) निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा–

(i) विशेष रूप से और पूर्ववर्त्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगीः

वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 685--150-600 ।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या– मं0म0स0–05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 935 /दिनांक 19.5.2015

झारखण्ड विधान–मंडल नेता–विरोधी दल (वेतन और भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम, 02, 2001) की धारा 3 (ज), झारखण्ड विधान–मंडल में नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम, 10, 2006) झारखण्ड विधान–मण्डल के नेता विरोधी दल का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम, 08, 2008) सहपठित झारखण्ड विधान–मंडल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 15, 2011) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –**
   - (क) यह नियमावली झारखण्ड विधान–मंडल नेता–विरोधी दल, (वेतन और भत्ता) नियमावली, 2015 कहलायेगी।
   - (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   - (ग) यह नियमावली 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी समझी जायेगी।
   - (घ) इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय एवं संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस अधिनियम में विधान–मंडल के सदन के संबंध में विरोधी दल के नेता से अभिप्रेत है, झारखण्ड विधान–सभा का कोई सदस्य जो तत्समय सदन में सरकार के ऐसे विरोधी दल का नेता हो, जिसकी संख्या–बल सबसे अधिक हो और इस रूप में झारखण्ड विधान–सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

स्पष्टीकरण : जहाँ विधान–सभा में सरकार के दो या अधिक विरोधी दलों का संख्या–बल समान हो, यहाँ यथास्थिति, विधान–सभा के अध्यक्ष, दलों को हैसियत को ध्यान में रखते हुए इस धारा के प्रयोजनार्थ विरोधी दल के नेता के रूप में ऐसे दलों में से किसी एक दल के नेता को मान्यता प्रदान करेंगे और ऐसी मान्यता अन्तिम एवं निर्णायक होगी।

2. **विरोधी दल के नेता का वेतन एवं क्षेत्रीय भत्ता –**
   - (क) विरोधी दल के ऐसे नेता को प्रतिमाह रु0 50,000/– (पचास हजार) मात्र वेतन दिया जायगा। वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
   - (ख) विरोधी दल के नेता की रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से क्षेत्रीय भत्ता और रु030,000/– (तीस हजार) मात्र प्रतिमाह की दर से आतिथ्य सत्कार भत्ता दिया जायेगा।
   - (ग) इस नियमावली के अधीन वेतन या भत्ता पानेवाला विरोधी दल का नेता, विधान–मंडल के सदन की अपनी सदस्यता के सम्बन्ध में वेतन या भत्ता के रूप में विधान–मंडल द्वारा उपबंधित निधियों में से कोई रकम प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(घ) **विरोधी दल के नेता का निवास** :

I. विरोधी दल का नेता अपनी पूरी पदावधि तक और उसके तुरन्त बाद एक माह की अवधि तक रांची में तथा रांची के बाहर किसी अन्य स्थान पर, जहाँ विधान–सभा की बैठक आयोजित हो, किराया दिए बिना एक सुसज्जित निवास के उपयोग करने का हकदार होगा।

II. ऐसे निवास के अनुरक्षण के संबंध में विरोधी दल के नेता पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

III. इस नियम के अधीन उपबंधित आवास को सुसज्जित करने एवं अनुरक्षण का व्यय समान दण्ड और वित्तीय सीमाओं के अधीन होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

IV. विरोधी दल के नेता को रु0 30,00,000/– (तीस लाख) मात्र का गृह ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अनुमान्य होगा।

स्पष्टीकरण :इस नियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "आवास" में स्टाफ क्वाटर और उनके संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और "आवास" से संबंधित अनुरक्षण के अन्तर्गत "स्थानीय करों" एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।

(ड.) **प्रभारी भत्ता** :– विरोधी दल के नेता को रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं रु0 2,000/–(दो हजार) मात्र प्रतिदिन राज्य के बाहर प्रभारी भत्ता देय होगा।

(च) मोटर कार खरीदने के लिए विरोधी दल के नेता की अग्रिम और सवारी भत्ता का दिया जाना : राज्य सरकार विरोधी दल के नेता के उपयोग के लिए मोटरकार की खरीद और उपबंध समय–समय पर ऐसी शर्त्तों पर कर सकेगी, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें।

परन्तु, यदि विरोधी दल के नेता के पास राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई कोई मोटरकार नहीं हो, तो उसे उसके बदले सवारी भत्ता की ऐसी रकम जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें, ताकि वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सुविधा और दक्षतापूर्वक कर सके।

(छ) विरोधी दल के नेता को रु0 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) मात्र 4% (चार प्रतिशत) वार्षिक ब्याज की दर पर मोटरकार अग्रिम राशि अनुमान्य होगा।

(ज) **विरोधी दल के नेता की सुविधाएँ** : विरोधी दल के नेता के लिए उपस्कर, दूरभाष तथा निजी स्टॉफ की सुविधाओं के लिए ऐसे प्रावधानों का उपबंध किया जायेगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

(झ) विरोधी दल के नेता को रु0 5,000/–(पांच हजार) मात्र प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का भुगतान देय होगा।

(ञ) हवाई/ जलपोत यात्रा करने के समय नेता विरोधी दल के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी। हवाई यात्रा/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान तथा HOR मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा पूर्ववत् किया जाता रहेगा।

4. यह नियमावली एवं इसके अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, जब वह 14 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जिसमें एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्र समाविष्ट हो, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह रखा गया हो, उसकी समाप्ति के पूर्व अथवा उसकी ठीक बाद वाले सत्र में, सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाए, तो उसके बाद यथास्थिति, नियम का ऐसे उपान्तरित रुप में ही प्रभाव होगा अथवा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई उपान्तरण या बातलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई कोई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

5. **व्याख्या एवं संशोधन**– इस नियमावली के प्रावधानों की यथावश्यक व्याख्या (Interpretation) एवं संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं0म0स0–05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 935/रांची, दिनांक मई, 2015।

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/नेता–विरोधी दल, झारखण्ड विधान सभा, रांची/मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव/ विकास आयुक्त के सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/सरकार के सभी सचिव/सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 935/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच.ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 935/रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की 5000 (पांच हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

(16)

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

म०म०स०– म०म०स०–05/वे०भ० संशोधन–128/2017 1236/झारखण्ड विधान–मंडल नेता–विरोधी दल (वेतन और भत्ता) नियमावली, 2015 के नियम– 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

::संशोधन::

i) नियमावली के नियम–2 (क) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के ऐसे नेता को" के पश्चात् एवं शब्द "वेतन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 50,000/– (पचास हजार) मात्र" को "रु0 65,000/– (पैंसठ हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ii) नियमावली के नियम–2 (ख) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के नेता की" के पश्चात् एवं "क्षेत्रीय भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र प्रतिमाह" को "रु0 80,000/– (अस्सी हजार) मात्र प्रतिमाह" से तथा अंकित शब्द समूह "क्षेत्रीय भत्ता और" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह की दर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र" को "रु0 45,000/– (पैंतालीस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iii) नियमावली के नियम–2 (घ) (iv) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के नेता को" के पश्चात् एवं "का गृह ऋण" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 30,00,000/– (तीस लाख) मात्र" को "रु0 40,00,000/– (चालीस लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iv) नियमावली के नियम–2 (ङ) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के नेता को" के पश्चात् एवं "प्रतिदिन राज्य के अन्दर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ) मात्र" को "रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र" से तथा अंकित शब्द समूह "प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं" के पश्चात् तथा "प्रतिदिन राज्य के बाहर" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र" को "रु0 2,500/– (दो हजार पांच सौ) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

v) नियमावली के नियम–2 (छ) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के नेता को" के पश्चात् तथा शब्द "4% (चार प्रतिशत) वार्षिक ब्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 15,00,000/– (पंद्रह लाख) मात्र" को "रु0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vi) नियम–2 (छ) में नया उप नियम 2(छ) (i) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :–

" नेता विरोधी दल राशि रु0 20,00,000/– (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"

vii) नियमावली के नियम–2 (झ) में अंकित शब्द समूह "विरोधी दल के नेता को" के पश्चात् तथा शब्द "प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता" के पूर्व अंकित शब्द एवं अंक "रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र" को "रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

viii) नियमावली के नियम–2 (ञ) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"नेता विरोधी दल भारत में हवाई/जलपोत यात्रा के दौरान अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री ले जाने के हकदार होंगे। हवाई/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान निर्धारित सीमा के अन्दर विधान सभा द्वारा देय होगा तथा HOR की सुविधा पूर्ववत् मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा दी जाती रहेगी।"

2. नियमावली के नियम–4 को नियम–3 पढ़ा जायेगा तथा नियम–5 को नियम–4 पढ़ा जायेगा।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

22/9/2017

(राजकुमार चौधरी)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 **1236**/ रांची, दिनांक **22.9.**2017 ई0।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 **1236**/ रांची, दिनांक **22.9** 2017 ई0।

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 **1236**/ रांची, दिनांक **22.9.**2017 ई0।

प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

(17)

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 1236/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/डोरंडा/रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 1236/ रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

22/9/2017

सरकार के अपर सचिव